371/c

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2012/चैत्र 15, 1934

No. 641] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2012/CHAITRA 15, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2012

का.आ. 732(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 15/6/2011 की सा.आ.सं. 1399 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियों /सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानूपर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा ।।ए की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

35/c

जोन -डी में पाकेट-6ए, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में आने वाले निम्नलिखित 8095.80 वर्गमीटर क्षेत्र का भू-उपयोग 'आवासीय' से ' सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ' सुविधाओं में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है :

अवस्थिति	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
योजना जोन - डीमें पाकेट-6ए डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली	8095.80 वर्ग मीटर	'आवासीय '	'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाए'	**उत्तर** - डीडीयू मार्ग (36.58 मी0 मार्गाधिकार) **दक्षिण** - 10.0 मी0 चौड़ी सड़क **पूर्व** - पाकेट-6 बी **पश्चिम** - अस्थाई बाजार / रेहड़ी बाजार(1275 वर्ग मी0)

[सं. के-13011/4/2009-डी डी I बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2012

S.O. 732(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1399(E) dated 15.6.2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

38/c

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 8095.80 sq.m. at Pocket 6-A, DDU Marg, New Delhi in planning Zone-D from 'Residential' to 'Public & Semi Public' facilities is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Pocket-6A, DDU Marg, New Delhi in Planning Zone 'D'	8095.80 sq.m.	'Residential'	'Public and Semi-Public Facilities'	**North-** DDU Marg (36.58m R/W) **South-** 10.0 m wide Road **East**- Pocket- 6B **West-** Informal Bazar/ Rehri Bazar (1275 sq.m.

[No. K-13011/4/2009-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.